-05-

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

राज्यसात वाद संख्या – 29/2022

राज्य बनाम् मनोज उपाध्याय (ट्रेक्टर मालिक) JH02AU5071, JH01DL2120

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
02.09.2022	**–:: आदेश ::–**	

अभिलेख उपस्थापित। यह राज्यसात की कार्रवाई जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक–171/खनन, दिनांक–14.03.2022 द्वारा Jharkhand Minerals (Prevention Of Illegal Mining Transportation & Storage) Rules-2017 & 54 Jharkhand Mineral Concession Rule-2004 And 21 Mines & Minerals (Regulation & Development) Act-1957 के अंतर्गत जप्त ट्रेक्टर नं०– JH02AU5071 एवं ट्रेक्टर नं०– JH01DL2120 में लोड 100–100 सी०एफ०टी० बालू को राज्यसात की कार्रवाई हेतु अनुशंसा हेतु प्रस्ताव न्यायालय को प्राप्त है।

प्राप्त राज्यसात प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि Mines & Minerals Development & Regulation Act-1957 की धारा–21 के तहत् प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। जबकि धारा–21(4-A) में निम्न प्रावधान है, "Any Mineral, Tool. Equipment, Vehicle Or Any Other Thing Seized Under Sub-Section (4), Shall Be Liable To Be Confiscated By Any Order Of The Court Competent To Take Cognizance Of The Offence Under Sub-Section (1) And Shall Be Disposed Of In Accordance With The Directions Of Such Court."

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में वाद के इस अवस्था में उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़ द्वारा Mines & Minerals Development & Regulation Act-1957 की धारा–21(4-A) के तहत् राज्यसात की कार्रवाई हेतु प्रस्ताव विचारणीय नहीं है। अतः वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। इसी आदेश/मन्तव्य के साथ वाद निस्तारित की जाती है। प्राप्त राज्यसात प्रस्ताव मूल रूप में जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ को वापस करें।

संचित करें।

[illegible] एवं संशोधित।

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2022.09.14 11:37:50 +05:30
Location: 192.168.0.16

माधवी मिश्रा
02.9.2022

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
02.9.2022

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।